of which are new markets for Indian Manganese ore.

Reduction in Fourth Plan Targets of Installed Power Capacity

*462. SHRI K M KOUSHIK :
SHRI G C NAIK :
SHRI P. K. DEO :
SHRI D. AMAT :
SHRI N. K. SOMANI ;

Will the Minister of IRRIGATION AND POWER be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Fourth Plan targets for installed power capacity in the country have been reduced from 26 Million to 22 Million kW by the Planning Commission ;

(b) if so, whether he has expressed dissatisfaction about the lowering of these targets ; and

(c) whether there is any likelihood of the upward revision of the same and if not how it is likely to affect the indusrrial development in the country ?

THE MINISTER OF IRRIGATION AND POWER (DR. K. L. RAO) : (a) and (b). According to the Fifth Annual Power Survey modified by the Working Group on Power, the installed generating capacity at the end of the Fourth Plan should be 26 million kW while the Fourth Five Year Plan envisages a target of 22 million kW. The matter was taken up with the Planning Commission who have indicated that financial restraint is the main bottle neck in the way of creating additional generating facilities.

(c) Power shortage will hamper industrial and agricultural developments in the country. Upward revision beyond the target of 22 million KW is possible only if additional funds are made available.

Taking over of Killick Nixon Group of Companies Kapadias

*463. SHRI MADHU LIMAYE : Will the Minister of FINANCE be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 8380 on the 5th May, 1969 and state :

(a) whether inquiry ordered into the annexation by the Kapadias of the Killick Nixon Group of companies has since been completed ;

(b) if so, the results of the inquiry ; and

(c) the action taken against the Kapadia ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI P. C. SETHI) : (a) Investigations are still under progress.

(b) and (c). Do not arise.

उर्वरकों का उत्पादन

*464. **श्री रणजीत सिंह :**
श्री जगन्नाथ राव जोशी :
श्री बृज भूषण लाल :
श्री राम गोपाल शालवाले
श्री अटल बिहारी वाजपेयी :
श्री निहाल सिंह :

क्या पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अप्रैल, 1968 से फरवरी, 1969 तक की अवधि में देश में नाइट्रोजनयुक्त उर्वरक का उत्पादन उसकी कुल उत्पादन क्षमता के आधे से कम तथा फास्फेटिक उर्वरक का उत्पादन उसकी कुल उत्पादन क्षमता का एक चौथाई से भी कम था ;

(ख) यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गई है ;

(ग) क्या गत चार महीनों में उत्पादन की गति में तुलनात्मक दृष्टि से परिवर्तन आया है ; और

(घ) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री बा० रा० चव्हाण) : (क) जी नहीं। 1968-69 में नाइट्रोजनी उर्वरकों का उत्पादन प्राप्य क्षमता का लगभग 78 प्रतिशत है। फास्फेटिक उर्वरकों के बारे में तदनुरूपी प्रतिशतता लगभग 60 प्रतिशत है।

(ख) उत्पादन में और सुधार करने के लिए लगातार यत्न किए जा रहे हैं।

(ग) और (घ). यद्यपि एक चपुर्थांश के उत्पादन के आधार पर निश्चित रूप से कहना सम्भव नहीं है तथापि नए सन्यन्त्रों में उत्पादन की उच्चतर गतियों को प्राप्त करने के चिन्ह हैं।

करों का अपवंचन

*465. **श्री ओंकार सिंह :**
श्री शारदानन्द :
श्री राम सिंह अयरवाल :
श्री श्रीगोपाल साबू :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आयकर विभाग के निरीक्षण निदेशालय के गुप्तचर कक्ष ने गत दो वर्षों में ऐसे कितने मामले पकड़े हैं, जिनमें प्रत्येक मामले में कर अपवंचन की राशि 5 लाख रुपये से अधिक थी ;

(ख) ऐसे प्रत्येक आयकर अपवंचक का नाम और पता क्या है और प्रत्येक मामले में कितनी-कितनी कर-राशि का अपवंचन किया गया था ; और

(ग) उनमें से कितने मामलों में कर-निर्धारण कर लिया गया है और किन-किन पक्षों पर कर-अपवंचन के कारण फौजदारी के मुकदमे चलाये गये हैं और प्रत्येक मामले में कितनी-कितनी राशि के कर का अपवंचन किया गया था ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) गुप्त-सूचना पक्ष ने वित्तीय वर्ष 1967-68 और 1968-69 के दौरान ऐसे 68 मामलों की रिपोर्ट दी है जिनमें से प्रत्येक में 5 लाख रुपये से अधिक के कर-अपवंचन का अनुमान लगाया गया था। केवल गुप्त-सूचना पक्ष की रिपोर्टों के आधार पर ही यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि कर का अपवंचन किया गया है। गुप्त-सूचना पक्ष ने जो प्रमाण एकत्रित किये हैं उनको कर निर्धारण अधिकारी निर्धारितियों के सामने प्रस्तुत करते हैं। कर-निर्धारण पूरा होने पर ही कर अपवंचन का निश्चित अनुमान लगाया जा सकता है। इनमें से कई मामलों का कर-निर्धारण अभी होना बाकी है।

(ख) उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर में बताई गई स्थिति को ध्यान में रखते हुए, जब तक कर-निर्धारण का कार्य पूरा नहीं हो जाता, तब तक ऐसे सब मामलों के बारे में सूचना देना सम्भव नहीं है।

(ग) बम्बई के रुइया समूह के मामलों में और मद्रास, बंगलौर ट्रान्सपोर्ट कम्पनी तथा उसके भागीदारों के मामले में कर-निर्धारण पूरे हो चुके हैं। पहले समूह द्वारा 8,94,5ˉ6 रुपये का और दूसरे के द्वारा 12,76,925 रु० का कर अपवंचन किया गया था। इन दोनों मामलों में इस्तगासे की कार्यवाही की गई थी। पहले समूह के मामलों में न्यायालयों में मुकदमे चल रहे हैं, जबकि दूसरे समूह से सम्बन्धित मुकदमों में 5,00,000 रु० की अदायगी करने पर समझौता किया गया।

पन बिजली पैदा करने सम्बन्धी कार्यक्रम

*466. **श्री महाराज सिंह भारती :**
श्री गं० च० दीक्षित :

क्या सिंचाई तथा विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इस समय पैदा की जा रही पन बिजली की तुलना में दस गुना अधिक पन बिजली पैदा की जा सकती है ; और

(ख) यदि हां, तो पन बिजली पैदा करने के लिये छोटा कार्यक्रम बनाने के क्या कारण हैं ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) जी, हां। इस समय देश में